भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2486

उत्तर देने की तारीख : 10.08.2026

एमएसएमई क्लस्टर और स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) से संबद्ध खुदरा अवसंरचना

2486. श्री मोहम्मद नदीमुल हक:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम बंगाल राज्य में सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त एमएसएमई क्लस्टरों की संख्या और अवस्थिति सहित उनके उत्पादों की विशेषीकरण संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कोई सरकारी कार्यक्रम एमएसएमई क्लस्टरों और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को खुदरा बाजारों, शहरी खुदरा बिक्री केंद्रों, संस्थागत खरीदारों अथवा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों से जोड़कर उनकी संधारणीयता सुनिश्चित करने के लिए सहायता प्रदान करते हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और

(घ) क्या सरकार एमएसएमई क्लस्टरों का रोजगार तथा आपूर्ति श्रृंखला के विकास पर प्रभाव का किसी तृतीय पक्ष मूल्यांकन करवाने का विचार रखती है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) से (ग) : सामान्य सुविधा केंद्रों (सीएफसी) की स्थापना और बुनियादी ढ़ाचे के विकास के माध्यम से सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) एक मांग-आधारित स्कीम है। पश्चिम बंगाल राज्य में एमएसई-सीडीपी के तहत 09 सीएफसी और 09 आईडी परियोजनाएं पूरी कर ली गई हैं।

पश्चिम बंगाल राज्य में जिला, स्थान और उत्पाद विशिष्टीकरण सहित सामान्य सुविधा केंद्रों (09) का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	क्लस्टर जहां सीएफसी स्थापित किए गए	जिले का नाम	उत्पाद विशिष्टीकरण
1	सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स इंडस्ट्री क्लस्टर, बरुईपुर	दक्षिण 24 परगना	धातु
2	पंखा विनिर्माण क्लस्टर	कोलकाता	इलेक्ट्रॉनिक्स/इलेक्ट्रिकल
3	सिल्वर फिलिग्री क्लस्टर, मगराहाट	दक्षिण 24 परगना	इंजीनियरिंग
4	शहद प्रसंस्करण क्लस्टर	मालदा	खाद्य प्रसंस्करण
5	ज़री कढ़ाई क्लस्टर	दक्षिण 24 परगना	वस्त्र
6	छत की टाइलें क्लस्टर	बांकुड़ा	सेरामिक
7	लेड एसिड बैटरी क्लस्टर	सिलीगुड़ी	कैमिकल
8	प्लास्टिक प्रोसेसिंग क्लस्टर, डबग्राम, राजगंज	जलपाईगुड़ी	प्लास्टिक
9	रिफ्रेक्टरी ब्रिक्स क्लस्टर, कुल्टी - सालनपुर क्षेत्र	बर्द्धवान	विविध

सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को उनकी बाजार तक पहुंच और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एमएसएमई मंत्रालय प्रापण और विपणन सहायता स्कीम को लागू करता है। इस स्कीम के तहत, पात्र एमएसई को घरेलू/अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों/एक्सपो, वेंडर विकास कार्यक्रमों, राष्ट्रीय कार्यशालाएं/सेमिनारों, बार कोडो का अंगीकार, पैकेजिंग सुधार और गवर्मेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम) और एमएसएमई ग्लोबल मार्ट जैसे डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफार्म के प्रयोग के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(घ) : वर्ष 2025 में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एनपीसी) द्वारा एमएसई-सीडीपी पर मूल्यांकन अध्ययन किया गया था।
